



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 30.06.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 563/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.06.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण काकुल कुमार पुत्र सरदेव सिंह व अंकित कुमार पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासीगण ग्राम नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ बदतमीजी करते हुए तमन्चे से डराया / धमकाया गया एवं मारपीट की गई तथा मौके पर पहुंचे यूपी 112 के पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई । दोनो अभियुक्तों को पकड़कर थाने लाया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 563/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण काकुल कुमार व अंकित कुमार उपरोक्त को एक अवैध तमन्चा (अभियुक्त काकुल से बरामद) सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

- 1.काकुल कुमार पुत्र सरदेव सिंह निवासी ग्राम नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.अंकित कुमार पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 563/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी विवेक राणा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी शोभित कुमार यूपी-112 पीआरवी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 5.हो0गा0 चालक विचित्र कुमार यूपी-112 पीआरवी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 30.06.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 4 पॉक्सो एक्ट व धारा 366/363/506 भादवि के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल ₹75,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 03.12.2019 को वादिया ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बकसनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर शादी करने के इरादे से वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया जिसमें अभियुक्त सुनील की मदद उसके अन्य 4 नामित परिजनो द्वारा की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 225/19 धारा 363/366 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 225/19 धारा 4 पॉक्सो एक्ट व धारा 366/363/506 भादवि के आरोपी सुनील पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बकसनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 75,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

सुनील पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बकसनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



BIJNOR POLICE



माह जून- 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह जून में कुल- 89

गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जून में कुल-89 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	460 / 24	366 भादवि
2	कोतवाली शहर	408 / 25	137(2) बीएनएस
3	कोतवाली शहर	318 / 25	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	316 / 25	87 बीएनएस
5	कोतवाली शहर	406 / 25	87 बीएनएस
6	कोतवाली शहर	429 / 25	87 बीएनएस
7	कोतवाली शहर	476 / 25	87 बीएनएस
8	कोतवाली शहर	536 / 25	137(2) बीएनएस (02 बरामद)
9	कोतवाली शहर	548 / 25	137(2) बीएनएस
10	हल्दौर	95 / 25	137(2) बीएनएस
11	हल्दौर	131 / 25	137(2) बीएनएस धारा वृद्धि-64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि०
12	हल्दौर	147 / 25	87 बीएनएस
13	हल्दौर	169 / 25	87, 61(2)(बी) बीएनएस
14	मण्डावर	89 / 25	87 बीएनएस
15	नजीबाबाद	109 / 25	87 बीएनएस
16	नजीबाबाद	194 / 25	74, 87 बीएनएस
17	नजीबाबाद	207 / 25	87, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस
18	नजीबाबाद	216 / 25	137(2) बीएनएस
19	नजीबाबाद	181 / 25	87 बीएनएस
20	नजीबाबाद	185 / 25	87 बीएनएस
21	नजीबाबाद	164 / 25	137(2) बीएनएस
22	नजीबाबाद	197 / 25	87 बीएनएस
23	नजीबाबाद	180 / 25	137(2) बीएनएस
24	नजीबाबाद	213 / 25	115(2), 351(2), 87 बीएनएस
25	किरतपुर	50 / 25	137(2) बीएनएस
26	किरतपुर	115 / 25	137(2) बीएनएस
27	किरतपुर	111 / 25	137(2) बीएनएस
28	किरतपुर	169 / 25	87 बीएनएस

29	मण्डावली	54 / 25	87 बीएनएस
30	मण्डावली	61 / 25	137(2) बीएनएस
31	मण्डावली	72 / 25	137(2) बीएनएस
32	नांगल	84 / 25	87 बीएनएस
33	नांगल	94 / 25	137(2) बीएनएस
34	चांदपुर	375 / 25	87 बीएनएस
35	चांदपुर	246 / 25	137(2) बीएनएस
36	चांदपुर	350 / 25	137(2) बीएनएस
37	चांदपुर	314 / 25	87 बीएनएस
38	चांदपुर	324 / 25	87, 352, 351(3) बीएनएस
39	चांदपुर	283 / 25	137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस
40	चांदपुर	303 / 25	61(2), 137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस
41	चांदपुर	330 / 25	137 (2) बीएनएस धारा वृद्धि-64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट
42	नूरपुर	124 / 25	87 बीएनएस
43	नूरपुर	59 / 25	87 बीएनएस
44	नूरपुर	208 / 25	87 बीएनएस
45	नूरपुर	192 / 25	137(2) बीएनएस
46	नूरपुर	196 / 25	74, 78, 87 बीएनएस
47	नूरपुर	189 / 25	87 बीएनएस
48	हीमपुर दीपा	76 / 25	137(2) बीएनएस धारा वृद्धि-3(2)5 ए एस सी एसटी एक्ट
49	नगीना	98 / 25	87 बीएनएस
50	नगीना	107 / 25	137(2) बीएनएस
51	नगीना	90 / 25	87 बीएनएस
52	नगीना	118 / 25	87 बीएनएस
53	कोतवाली देहात	113 / 25	137(2) बीएनएस
54	कोतवाली देहात	124 / 25	137(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस धारा लोप-137(2) व धारा वृद्धि धारा-87 बीएनएस
55	बढापुर	94 / 25	137(2), 64 बीएनएस व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट
56	बढापुर	83 / 25	137(2) बीएनएस
57	बढापुर	88 / 25	137(2) बीएनएस
58	नगीना देहात	136 / 25	87 बीएनएस
59	नगीना देहात	140 / 25	87 बीएनएस
60	नगीना देहात	142 / 25	137(2) बीएनएस
61	नगीना देहात	146 / 25	87 बीएनएस
62	नगीना देहात	151 / 25	87 बीएनएस
63	नगीना देहात	154 / 25	137(2) बीएनएस धारा वृद्धि-64(1) बीएनएस व 3/4 पॉ0एक्ट (02 बरामद)
64	नगीना देहात	138 / 25	87 बीएनएस
65	धामपुर	185 / 25	87 बीएनएस
66	धामपुर	216 / 25	87 बीएनएस
67	धामपुर	200 / 25	137(2) बीएनएस
68	धामपुर	227 / 25	87 बीएनएस
69	धामपुर	205 / 25	87, 61(2) बीएनएस
70	धामपुर	218 / 25	87 बीएनएस
71	धामपुर	220 / 25	87 बीएनएस
72	स्योहारा	229 / 25	87, 70(1), 351(3) बीएनएस
73	स्योहारा	231 / 25	137(2) बीएनएस 64,87 बीएनएस व 3/4 पॉ0एक्ट
74	स्योहारा	246 / 25	87 बीएनएस
75	स्योहारा	206 / 25	87, 61(2) बीएनएस
76	स्योहारा	193 / 25	137(2) बीएनएस
77	स्योहारा	217 / 25	137(2), 64(1), 351(3) बीएनएस व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट
78	स्योहारा	233 / 25	137(2) बीएनएस
79	नहटौर	99 / 25	137(2) बीएनएस
80	नहटौर	150 / 25	137(2) बीएनएस
81	नहटौर	126 / 25	87 बीएनएस
82	नहटौर	149 / 25	87 बीएनएस
83	अफजलगढ़	167 / 25	137(2) बीएनएस
84	अफजलगढ़	172 / 25	137(2) बीएनएस
85	शेरकोट	93 / 25	87 बीएनएस
86	रेहड	70 / 24	498ए, 323, 504, 365, 366, भादवि व 3 / 4 डी पी एक्ट
87	रेहड	41 / 25	87, 351(2) बीएनएस





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नूरपुर

दिनांक 30.06.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 220/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस मे वांछित
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.06.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनीस अहमद पुत्र अमीर हसन निवासी राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर सहित 03 नामित व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा अभियुक्त अनीस द्वारा तमन्चे की बट से वार कर वादी को चोट पहुंचाई गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 220/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग मे वांछित अनीस अहमद पुत्र अमीर हसन निवासी राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही ह ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अनीस अहमद पुत्र अमीर हसन निवासी राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 220/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 152 अनूप सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 571 मोनू सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।